

परिशिष्ट—एक
देखिए पेरा 3 (क)
अनुप्रमाणन फार्म

यहां पर पासपोर्ट
साईज का
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकायें

चेतावनी:—

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अर्नहता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।

2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विसर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि यह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, यदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिये हों (खात्मा) वापस ले लिए गये हों या उनमें अंततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो ।

3. यदि तथ्य की अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवार्यें समाप्त की जा सकेंगी ।

1	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा उपनाम, यदि कोई हो यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में (कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया इसका उल्लेख कीजिए)	कुलनाम (सरनेम) नाम
2	वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली, (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)	
3	(क) घर का पूरा पता – (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली, (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हा) (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ प्रवास की तारीख)	(क) (ख)

4. निवासी अवधियों सहित उस स्थान के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला अर्थात् घर क्रमांक, गली, (मार्ग) सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो।
(1)	(2)	(3)	(4)

5.	पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो	
(क)		
(ख)	वर्तमान डाक-पता यदि स्वगवासी हों तो पिछला पता दीजिए	
(ग)	घर का स्थायी पता	
(घ)	व्यवसाय	
(ङ.)	यदि किसी सेवा में हों तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए	
6.एक)	नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता :-	
(क)	पिता	
(ख)	माता	
(ग)	पति/पत्नि	
(घ)	उम्मीदवार	
(दो)	पति/पत्नि का जन्म स्थान	
7.(क)	जन्म तारीख	
(ख)	वर्तमान आयु	
(ग)	हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु	
8.(क)	जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो	
(ख)	वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं	
9.(क)	आपका धर्म	
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं ? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हाँ में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए।	

10	शैक्षणिक अर्हताएं – वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो		
	शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख
	(1)	(2)	(3)
			उत्तीर्ण परीक्षा (4)

11. यदि आप अभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए –

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि ----- से तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है? क्या आप कभी निरूद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है? क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है उसके लिये अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्काषित किया गया है ?			
(ख) इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ?			

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हों में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्रधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए, इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएंगे -

(1)	अपराध/आरोप	
(2)	पुलिस थाने में पंजीबद्ध	
(3)	यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम	
(4)	मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया	
(5)	दिया गया दण्ड	
(6)	दोष मुक्ती, संदेह के लाभ पर आधारित थी, मामला वापस ले लिया गया था ।	
(7)	क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य है, या उससे सहयोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टियाँ दें, जैसे संगम संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबद्धता की कालावधि/अवधि इत्यादि ।	

अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे । न्यायालय से तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा।
टिप्पणी - अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें ।

स्थान

तारीख

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो (1)
उत्तरदायी व्यक्तियों या दो
निदेशियों के नाम जो आपको
जानते हों ।

(2)

.....

तारीख

स्थान

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण हैं। मैं ऐसी किसी भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

तारीख

स्थान

.....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पहचान प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए :-
(एक) केन्द्रीय या राज्यशासन का राजपत्रित अधिकारी, (दो) संसद या विधानसभा मंडल का सदस्य (तीन) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी (चार) तहसीलदार, या नायब/उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यताप्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख (छः) खण्ड विकास अधिकारी (सात) पोस्ट मास्टर (आठ) पंचायत निरीक्षक।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं .श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता/पति का नाम श्री को पिछले

वर्ष माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

पदनाम या

स्थिति तथा

पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम,

पदनाम और पूरा पता

(दो) वह पद जिसके लिये उम्मीदवार

के संबंध में विचार किया जा रहा है।